न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई,** आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : **244/2018**

GCMS NO. : **2018/00339**

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. जयसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति– राजपूत, निवासी– पालियावास तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।		1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व **वाद** बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.24/09/2018

उपस्थितः– 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी।

2. सरकारी पैरोकार, राज।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 27/12/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि मौजा भीलदेवा, पटवार हल्का रास–1 तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वाके आराजी खसरा नम्बर 1129/1 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1126/1 रकबा 08–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1128 रकबा 03–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1129 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि स्थित है जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि को इस वाद में आगे विवादग्रस्त आराजीयात से संबोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश है। जिसके बाद का एक भाग माना जावे। उक्त खसरान की भूमि वादी की पुश्तैनी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें वादी अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में शांति पूर्वक तरीके से बरोकटोक काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि वादी की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि है एवं वादी के पिता स्व. शैतानसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह की मृत्यु के पश्चात वादी की उक्त खसरान की भूमि को कीतदगी म्यू[illegible]ख्या 2307 दर्ज किया गया। उस दरम्यान तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा [illegible] एवं सही जांच पड़ताल नही करते हुए नामान्तरण दर्ज किया [illegible] की नाम जयसिंह दर्ज नही करके मलसिंह दर्ज कर दिया। जो गलत है वादी का सही एवं वास्तविक नाम जयसिंह है तथा म्यूटेशन संख्या 2307 के तहत [illegible] वादी का नाम जयसिंह ही दर्ज करना था। जो नही करके मलसिंह दर्ज कर दिया जो एक रॉन्ग एन्ट्री एवं लिपिकीय त्रुटि है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी के पिता स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

शैतानसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह के कुल चार पुत्र क्रमशः भगवानसिंह रघुनाथसिंह, मदनसिंह और जयसिंह हुए थे। इन चार पुत्रो के अलावा मलसिंह नाम का कोई पुत्र वादी के पिता स्व. शैतानसिंह के उत्पन्न नही हुआ था। उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम जयसिंह दर्ज नही करके मलसिंह दर्ज कर दिया था। जो गलत है एक रॉन्ग एन्ट्री है। जिसे राजस्व रेकर्ड से हटाकर उसके स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम जयसिंह दर्ज किया जाना न्यायतन आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं म्यूटेशन संख्या 2307 में दर्ज वादी का गलत नाम मलसिंह को हटवाने एवं मलसिंह के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम जयसिंह दर्ज करवाने एवं अपने राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकार कानूनी रूप से वादी को प्राप्त है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं म्यूटेशन संख्या 2307 में दर्ज वादी का नाम मलसिंह गलत है तथा वादी का सही एवं वास्तविक नाम जयसिंह है जो वादी की अन्य पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 109, 110, 111, 112, 113 एवं खसरा नम्बर 31, 32, 98, 99, 100, 108 सरहद मौजा पालियावास पटवार हल्का रास–2 से एवं वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैक डायरी इत्यादि से प्रमाणित एवं साबित है। उक्त समस्त दस्तावेजात की फोटो प्रतिया वाद पत्र के साथ पेश है। जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(02) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वादकारण दिनांक 01.09.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी खातेदारी भूमि की नकलें लेकर संबंधित बैंक से कृषि प्रयोजनार्थ ऋण हेतु बैक में उपस्थित हुआ, तब सम्बन्धित बैंक द्वारा वादी को कहा कि आपके राजस्व रेकर्ड में आपका नाम मलसिंह दर्ज है, जबकि आपके अन्य दस्तावेज में आपका नाम जयसिंह दर्ज है। इस कारण आपको ऋण नही दिया जा सकता। आप राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कराओ। तभी बैंक द्वारा आपको ऋण दिया जा सकेगा। इस कारण वादी को उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] सम्मनस् वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा [illegible] पेश किया गया जो सा0मि0 है। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण [illegible] रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2021/575 दिनांक 22.02.2021 में कथन किया [illegible] हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सही दर्ज किया गया है। वादी राजस्व रे[illegible] में दर्ज मलसिंह पुत्र शैतानसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र शैतानसिंह करवाना चाहता है। जो वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों के आधार पर सिद्ध करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भीलदेवा, पटवार हल्का रास-1 तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वाके आराजी खसरा नम्बर 1129/1 रकबा 10-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1126/1 रकबा 08-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1128 रकबा 03-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1129 रकबा 10-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल के सम्बन्ध में वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है तथा वादी के पिता एवं खातेदार शैतानसिंह पुत्र बहादुर सिंह की मृत्यु उपरांत फौतेदगी नामान्तरण संख्या 2307 स्वीकृत करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा वारिसानों की भलीभांति जांच किये बिना सहवन से मेरा त्रुटिपूर्ण नाम मलसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र शैतानसिंह है। वादी के पिता स्वर्गीय शैतानसिंह पुत्र बहादुर सिंह है, के कुल चार पुत्र क्रमशः भगवान सिंह, रघुवीरसिंह, मदनसिंह, व जयसिंह है। इनके अतिरिक्त मलसिंह नाम से कोई संतान नहीं है। मलसिंह तथा जयसिंह एक ही व्यक्ति है, अतः वादग्रस्त आराजी में नामान्तरण संख्या 2307 से दर्ज वादी का गलत नाम मलसिंह को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र शैतानसिंह दर्ज किया जाकर इसी अनुरूप वादी के हक में घोषणात्मक डिक्री जारी कि जावे।

तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा में कथन किया है कि वादी अपना वादपत्र स्वयं सिद्ध करें एवं हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सही दर्ज किया गया है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र एवं अपने भाई रघुवीर पुत्र शैतानसिंह, मदनसिंह पुत्र शैतानसिंह का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये। स्वयं वादी एवं वादी साक्ष्य में वादपत्र में उल्लेखित कथनों का समर्थन करते हुय शपथपत्र पर यह कथन किया है कि हमारे पिता शैतानसिंह पुत्र बहादुर सिंह के मलसिंह नाम की कोई संतान नहीं है तथा मलसिंह व जयसिंह वस्तुतः एक ही व्यक्ति है।

प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम भीलदेवा पटवार हल्का रास-प्रथम, के अंकनानुसार रघुवीरसिंह, मदनसिंह, मलसिंह पि0 शैतानसिंह तथा भंवरसिंह, श्यामसिंह पि0 भगवानसिंह कौम राजपूत बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श-2 नामान्तरण पंजीका ग्राम रास प्रथम के अनुसार [illegible] शैतानसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान भगवानसिंह, रघुवीर[illegible] [illegible]सिंह, मलसिंह पि0 शैतानसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 2[illegible] [illegible] को स्वीकृत किया गया। प्रदर्श-4ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी [illegible] पत्र, प्रदर्श-5ए राजस्थान सरकार द्वारा जारी वादी का परिवार राशनकार्ड, प्रद[illegible]ए वादी का ए0बी0आई0 बैंक शाखा रास की बैंक पासबुक में जयसिंह पुत्र शैतानसिंह अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn…
Date: 2022.01.24 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस प्रकार वादी द्वारा शपथपत्र पर प्रकट कथनों उपलब्ध दस्तावेजात् तथा वादी के गवाह एवं भाई रघुवीरसिंह, मदनसिंह पुत्र शैतानसिंह द्वारा शपथपत्र पर किये गये बयानों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार शैतानसिंह पुत्र बहादुर सिंह के मृत्यु उपरांत स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2307 द्वारा खातेदार के वारिसान के रूप में दर्ज किये गये भगवानसिंह, रघुवीरसिंह, मदनसिंह व मलसिंह मे से मलसिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा मलसिंह का सही एवं वास्तविक नाम जयसिंह है जो कि वादी है। अतः वादपत्र भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी मौजा भीलदेवा, पटवार हल्का रास–1 तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वाके आराजी खसरा नम्बर 1129/1 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1126/1 रकबा 08–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1128 रकबा 03–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1129 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''***मलसिंह***'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***''जयसिंह''*** दर्ज करते हुये वादी जयसिंह पुत्र शैतानसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

जयसिंह पुत्र शैतानसिंह
जाति– राजपूत, निवासी– पालियावास
तहसील– जैतारण, जिला– पाली
राज0।

1. राजस्थान सरकार बजरिये
तहसीलदार जैतारण जिला– पाली
(राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 244/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व सरकारी पैरोकार राज0, तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी मौजा भीलदेवा, पटवार हल्का रास–1 तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वाके आराजी खसरा नम्बर 1129/1 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1126/1 रकबा 08–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1128 रकबा 03–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1129 रकबा 10–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***''मलसिंह''*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***''जयसिंह''*** दर्ज करते हुये वादी जयसिंह पुत्र शैतानसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक [illegible] को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/[illegible] को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	05	-	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजानः-	10	-	मिजानः-	— Nil	-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested